भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2497
03 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

नल जल कनेक्शन

2497. **श्री रमेश चन्द्र माझी**:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओडिशा सहित देश में जल जीवन मिशन-शहरी (जेजेएम-यू) के अंतर्गत किए गए कार्यों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में राज्य-वार कितने प्रतिशत शहरी परिवारों के घरों में नल कनेक्शन हैं;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई; और
(घ) नबरंगपुर और मलकानगिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त मिशन के माध्यम से कितने घरों को नल जल उपलब्ध कराया गया है/ उपलब्ध कराया जाना बाकी है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क): जल जीवन मिशन (शहरी) को 01 अक्टूबर 2021 को 05 वर्ष की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के रूप में शुरु किया गया है। मिशन का उद्देश्य शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाना और देश के सभी वैधानिक कस्बों में सभी परिवारों को चालू नलों के माध्यम से जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। मिशन का उद्देश्य अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 500 शहरों के सभी परिवारों को सीवेज/सेप्टेज प्रबंधन प्रदान करना भी है।

ओडिशा राज्य के लिए, अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सहायता (सीए) के रूप में 1,373 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब तक, प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता 1,146.51 करोड़ रुपये के साथ 2,923.10 करोड़ रुपये (*संचालन और अनुरक्षण लागत सहित*) की 147 परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की शीर्ष समिति द्वारा

अनुमोदित किया गया है। इनमें से 1,075 करोड़ रुपये (कैपेक्स लागत) की 76 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई हैं, इनमें से 966 करोड़ रुपये की 70 परियोजनाओं के लिए नोटिस आमंत्रण निविदाएं (एनआईटी) जारी की गई हैं और इनमें से 858 करोड़ रुपये की 61 परियोजनाएं प्रगति पर हैं तथा 16 करोड़ रुपये की 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

(ख): 2021 की स्थिति के अनुसार देश में नल जल कनेक्शन वाले शहरी परिवारों का राज्य-वार प्रतिशत अनुलग्नक-I में दिया गया है।

यह भी सूचित किया गया है कि अमृत मिशन के माध्यम से नल जल कनेक्शन भी प्रदान किए गए हैं, जो अमृत 2.0 के अंतर्गत शामिल हो गए हैं, जिसके तहत अमृत की चल रही और पात्र परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता 31 मार्च, 2024 तक प्रदान की जाएगी। अमृत मिशन के माध्यम से प्रदान किए गए नल कनेक्शन का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग): अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय निधि पूरी मिशन अवधि के लिए राज्य जल कार्य योजना (एसडब्ल्यूएपी)-वार स्वीकृत/आवंटित की गई है, न कि वर्ष-वार/परियोजना-वार। अमृत 2.0 के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए परियोजनाओं के लिए आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता 66,750 करोड़ रुपये है। चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान, उन परियोजनाओं के लिए 6,194 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है, जिनके 217.44 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं।

(घ): नबरंगपुर और मल्कानगिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी शहर अमृत मिशन के तहत कवर नहीं किया गया था। तथापि, अमृत 2.0 के तहत, 8 शहर (उमरकोट (एनएसी), नबरंगपुर (एम), कोटपाड (एनएसी), कोरापुट (एनएसी), जयपुर (एम), सुनाबेड़ा (एनएसी), मलकानगिरी (एनएसी) और बालिमेला (एनएसी) नबरंगपुर और मलकानगिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल हैं।

अमृत 2.0 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं का चयन करने, उनके कार्यों के दायरे को परिभाषित करने और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का अधिकार देता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित यूएलबी में परियोजनाओं को डिजाइन करने, मंजूरी देने और कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब तक, उक्त संसदीय क्षेत्रों के चार शहरों जयपुर, कोरापुट, कोटपाड और बालीमेला में शीर्ष समिति द्वारा 147.90 करोड़ रुपये की 4 जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 9,701 नए नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है और 12,495 मौजूदा घरेलू नल कनेक्शनों की सेवा प्रदान किए जाने की योजना है।

"नल जल कनेक्शन" के संबंध में दिनांक 03 अगस्त, 2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2497 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

देश में नल कनेक्शन वाले शहरी परिवारों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	**अमृत** 2.0 के तहत नल कनेक्शन वाले शहरी परिवारों का प्रतिशत* (% में)
1	आंध्र प्रदेश	70
2	अरुणाचल प्रदेश	38
3	असम	16
4	बिहार	86
5	छत्तीसगढ	64
6	गोवा	95
7	गुजरात	87
8	हरियाणा	93
9	हिमाचल प्रदेश	75
10	झारखंड	24
11	कर्नाटक	71
12	केरल	50
13	मध्य प्रदेश	69
14	महाराष्ट्र	83
15	मणिपुर	40
16	मेघालय	68
17	मिजोरम	66
18	नागालैंड	17
19	ओडिशा	86
20	पंजाब	93
21	राजस्थान	67
22	सिक्किम	38
23	तमिलनाडु	53
24	तेलंगाना	92
25	त्रिपुरा	65
26	उत्तर प्रदेश	44
27	उत्तराखंड	89
28	पश्चिम बंगाल	70
संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)		
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	100
30	चंडीगढ़	95
31	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	83

32	दिल्ली	82
33	जम्मू और कश्मीर	70
34	लद्दाख	48
35	लक्षद्वीप	-
36	पुदुचेरी	93

** यूएलबी द्वारा प्रस्तुत शहरी जल संतुलन योजनाओं में उपलब्ध सूचना के अनुसार।*

"नल जल कनेक्शन" के संबंध में, दिनांक 03 अगस्त, 2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2497 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

अमृत मिशन के तहत शहरी परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया गया

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	अमृत और कन्वर्जेंस के तहत प्रदान किए गए नल कनेक्शन (संख्या में)
1	आंध्र प्रदेश	4,14,681
2	अरुणाचल प्रदेश	1,896
3	असम	72,497
4	बिहार	7,98,311
5	छत्तीसगढ	3,05,388
6	गोवा	150
7	गुजरात	20,94,249
8	हरियाणा	3,62,143
9	हिमाचल प्रदेश	26,676
10	झारखंड	2,97,423
11	कर्नाटक	8,95,213
12	केरल	6,30,466
13	मध्य प्रदेश	14,35,404
14	महाराष्ट्र	11,15,405
15	मणिपुर	28,947
16	मेघालय	15,143
17	मिजोरम	56,535
18	नागालैंड	5,515
19	ओडिशा	5,18,395
20	पंजाब	2,53,589
21	राजस्थान	6,89,704
22	सिक्किम	3,907
23	तमिलनाडु	18,02,788
24	तेलंगाना	5,53,349
25	त्रिपुरा	43,137
26	उत्तर प्रदेश	9,22,015
27	उत्तराखंड	79,538
28	पश्चिम बंगाल	27,74,504
संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)		
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7,198
30	चंडीगढ़	1,76,434
31	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	29,120

32	दिल्ली	7,53,791
33	जम्मू और कश्मीर	77,170
34	लद्दाख	1,620
35	लक्षद्वीप	-
36	पुदुचेरी	3,925
कुल		**1,72,46,226**